सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2017/00180

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ, जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – हरिसिह लम्बोरा (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्या– 92/2017

हरेन्द्रसिह पुत्रश्री पूरनसिह जाति जाट निवासी परौआ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
– – – – वादी

बनाम

1राजेश्वरी पुत्री भैरोसिह पत्नी स्व0 सुरेशसिह जाति जाट निवासी मंगलविहार कॉलोनी धौल्पुर 2–राजेशसिह पुत्र भैरोसिह जाति जाट निवासी परौआ तहसील सैपऊ
3–स्टैट बैक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सन्तर रोड धौलपुर जरिये प्रवन्धक
4–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ वहैसियत लैण्ड हौल्डर

——— प्रतिवादीगण

दावा स्वत्व घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज एंव स्थाई निषेधाज्ञा दफा 88, 188 आरटीएक्ट

उपस्थिति –
1–श्री रामअवतार गौडएडवोकेट .....(वादी)

निर्णय

दिनांकः 13.06.2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि यह दावा वादी द्वारा पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 1101 रकवा 3 वीघा 12 विश्वा वाके ग्राम बल्दियापुरा तहसील सैपऊ में वादी 1/5 भाग का तथा शीलादेवी बेवा पूरनसिह 1/5 भाग की तथा वादी के भाई महेश व मंगलसिह पुत्रगण पूरनसिह संयुक्त रूप से 2/5 भाग के तथा गुडडी पुत्री पूरनसिह1/5 भाग की खातेदार काश्तकार थी तथा मौके पर मुताबिक हिस्सा संयुक्त रूप से काबिज होकर निरंन्तर रूप से फसल का लाभ प्राप्त करते रहे। वादी की मॉ शीलादेवी बेवा पूरनसिह व भाई महेश व मंगलसिह पुत्रगण पूरनसिह व गुडडी पुत्री पूरनसिह द्वारा अपना संम्पूर्ण हिस्सा 4/5 भाग जरिये रजिस्टर्ड बयनामा तारीखी 10.01.2003 प्रतिवादी संख्या 1 के हक में विक्रय कर कब्जा सौंप दिया वादीअपने 1/5 भाग पर बदस्तूर पूर्व की भांति मौके पर काबिज काश्त रहा। बयनामा तारीखी 10.01.2003 के आधार पर नामा0 संख्या 67 वाके ग्रम बल्दियापुरा तहसील सैपऊ तस्दीक किया परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व अभिलेख जमावन्दी में मुताबिक दाखिल खारिज अमल न कराकर संम्पूर्ण विवादित खसरा नम्बर पर अपने नाम अमल करा लिया जोकि सर्वथा असलियत के विपरीत है तथा राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे इन्द्राजात व मुकाबले हकूक वादी प्रारंमी से ही शून्य तथा बैअसर है। राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे गलत इन्द्राजात का लाभ उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विना किसी अधिकार के सुम्पूर्ण विवादित खसरा नम्बर 1101 रकवा 3 वीघा 12 विश्वा वाके ग्रम बल्दियापुरा का

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

दानपत्र प्रतिवादी संख्या 2 के हक में हक में निष्पादित कर दिनांक 11.08.2008 को पंजीबंद्व करा दिया जोकि मुकाबले हकूक वादी के हिस्से तक प्रांरम्भ से ही शून्य तथा बेअसर है, एंव ऐसे शून्य दसतावैज के आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। अर्सा करीव 1 माह पूर्व वादी अपने हिस्से की आराजी पर जुताई कर रहा था तो प्रतिवादीगण ने मौके पर वादी से यह इजहार किया कि सम्पूर्ण विवदित आराजी का हमारे नाम राजसव रिकॉर्ड में इन्द्राज है इस प्रकार प्रतिवादीगण हकूक वादी से इन्कारी हुये तथा वादी को एलानियां धमकी दी की वह वादी को विवादित आराजी पर काश्त नही करने देगे तथा मोके पर से बैदखल कर देगें। ऐसी स्थिति में वादी को यह आवश्यक हो गया कि वह विवादित आराजी में अपने हकूक खातेदारी न्यायालय द्वारा घोषित करावे तथा प्रतिवीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द करावे कि वह वादी के हिस्से काश्त की आराजी में किसी प्रकार की दखलंन्दाजी एंव हस्तक्षेप नही करें ।

अन्त में निवेदन किया है कि दावा वादी विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बा 1101 रकवा 3 वीघा 12 विश्वा वाके ग्राम बल्दियापुरा तहसील सैपऊ में वादी को 1/5 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादीगण कों जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वह वादी के हिस्से काश्त की आराजी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करें तथा दीगर दादरसी जो करीने इंसाफ हो वह भी वादी को फरमाई जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किये गये। प्रतिवादीगण को दिनांक 12.09.2018 को जरिये रजिस्ट्री तलवी कराई, बाबजूद तामील के प्रतिवादीगण उपस्थित नही हुये। अतः प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी ने अपने दस्तावैजी साक्ष्य के नकल नामा0 संख्या 65 वाके ग्रम बल्दियापुरा प्रदर्श 1, एंव प्रमाणित नकल बयनामा तारीखी 10.01.2003 वहक राजेश्वरी पत्नी सुरेश जाति जाट प्रदर्श 2 तथा प्रमाणित नकल नामा0 संख्या 67 वाके ग्राम बल्दियापुरा तहसील सैपऊ प्रदर्श 3, तथा प्रमाणित नकल जमावन्दी आधार वर्ष 2005–06 प्रदर्श 4 तथा प्रमाणित नकल दानपत्र तारीखी 11.08.2008 वहक राजेशसिह पुत्र भैरोसिह प्रदर्श 5 तथा प्रमाणित नकल नामा0 संख्या 217 वाके ग्राम बल्दियापुरा तहसील सैपऊ प्रदर्श 6 तथा प्रमाणित नकल जमावन्दी संवत 2063–66 वाके ग्राम बल्दियापुरा प्रदर्श 7 तथा नकल जमावन्दी संवत 2071–74 वाके ग्राम बल्दियापुरा खाता संख्या 104 के रूप में प्रस्तुत किये है।

अतः हमने एक पक्षीय बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावैजो का अवलोकन किया विवादित आराजी खसरा नम्बर 1101 रकवा 3 वीघा 12 विश्वा स्थित वाके ग्राम बल्दियापुरा तहसील सैपऊ पर वादी को संयुक्त रूप से 1/5 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित करना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि आराजी खसरा नम्बर 1101 रकवा 3 वीघा 12 विश्वा स्थित वाके ग्राम बल्दियापुरा तहसील सैपऊ पर वादी को संयुक्त रूप से 1/5 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

पावन्द किया जाता है कि वादी क हिस्से/कब्जे काश्त में मजाहमत, मदाखलत बेजा नही करें। पर्चा डिक्री जारी की जावे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरिसिंह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ